सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 04/प्रेसनोट/2021 दिसम्बर - 02 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना दीदारगंज

साजिश कर हत्या करने वाले दो अभियुक्त मृतक की गाडी व हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार

दिनांक 31.12.2020 को श्री निलेश कुमार सिंह निवासी ग्राम सुरहन थाना दिदारगंज जनपद आजमगढ ने थाना दीदारगंज पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 30.12.2020 को मेरे भाई राकेश कुमार सिंह को दावत खिलाने के लिए सलीम पुत्र अकबाल ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ मेरे घर आया तथा शाम 6.00 बजे मेरे भाई को साथ ले गया उसके बाद दिनांक 31.12.2020 को सुबह 8.00 बजे मेरे भाई राकेश कुमार सिंह का शव सुरहन (कोटिया) मार्टिनगंज से दीदारगंज जाने वाली रोड के किनारे मिली। सलीम व अन्य लोगो ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-217/2020 धारा 302,201 भादवि बनाम सलीम व अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन व विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 147,34 भादवि की बढोत्तरी किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर क्षेत्राधिकारी फूलपुर व थाना प्रभारी दीदारगंज को घटना के अनावरण एव अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गिया। इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन में दिनांक 0 1.01.2021 को थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजुद थे कि उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सलीम पुत्र इकबाल निवासी ग्राम बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ भादो मोड़ पर मौजुद है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराहीगण के साथ भादो मोड़ पर पहुँचकर अभियुक्त सलीम उपरोक्त को आवश्यक बल कर पकड़ लिया गया। अभियुक्त से मृतक की मोटरसाईकल व अन्य सामग्री के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्त की निशादेही पर मृतक की मोटरसाईकिल प्लेटिना, टोपी व झोले को भादो सोंगर मार्ग उत्तर स्थित ईट के भट्टे से बरामद किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त से मृतक राकेश कुमार सिंह की हत्या के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने साथ 1- राधेश्याम पुत्र लोकई यादव निवासी दुबरा थाना-बरदह, आजमगढ़, 2- अनन्त राय पुत्र प्रभात राय ग्राम बेलवाना थाना-बरदह, आजमगढ़, 3- सत्यम राय पुत्र विजेन्द्र सा0 गोरिया थाना-बिलरियागंज, आजमगढ़, 4- सोनू सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र माया शंकर सिंह ग्राम दुबरा थाना बरदह, आजमगढ़, 5- सोनू पुत्र अज्ञात पता अज्ञात के साथ मिलकर हत्या की थी। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 147/34 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। पुनः अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक-02.01.2021 को थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू सिह उर्फ धर्मेन्द्र सिह पुत्र मायाशंकर सिह सा0 दुबरा थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर मार्टिंगज बाजार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह उपरोक्त की निशादेही पर मय आला कत्ल - दो अदद चाकू (आलाकत्ल), मृतक का एक अदद टूटा हुआ मोबाइल व घटना प्रयुक्त 01 अदद हुण्डई कार बरामद किया गया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में पुनः धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तगणों का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त सलीम व अभियुक्त अनन्त राय द्वारा मृतक राकेश सिंह से 6 लाख रूपया उधार लिए थे। तथा पैसा वापस नही कर पा रहें थे। इसी प्रकार अभियुक्त सोनू उर्फ धर्मेन्द्र सिंह भी अपनी बहन की शादी के लिए मृतक राकेश सिंह से 3 लाख रूपये लिए थे। अभियुक्तगण द्वारा पैसा वापस न कर पाने की स्थिति मृतक राकेश सिंह द्वारा पैसा देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बात को लेकर दिनांक-30.12.2020 को अभियुक्तगण 1. सलीम, 2. राधेश्याम यादव, 3.सत्यम राय, 4.अनन्त राय द्वारा षड़यन्त्र रचकर अभियुक्त सलीम द्वारा फोन पर बात कर मृतक के घर जाकर मृतक के मोटर साईकिल से मौजा बाजार ले गये। तथा वही से हुण्डयी I-20 कार से अभियुक्तगण 1. सलीम, 2. राधेश्याम यादव, 3.सत्यम राय, 4.अनन्त राय तथा मृतक साथ बैठाकर जौनपुर बाटी-चोखा रेस्टूरेन्ट ले गये जहाँ पर पहले से ही सोनू सिंह इंजार कर रहें थे। होटल पर ही खाना खाकर वापस आते समय राकेश सिंह को गाड़ी में आगे की सीट पर बैठाकर पीछे से पकड़कर चाकू से मारकर हत्या कर दिये तथा लाश को सुरहन कोटिया गाँव के पास फेंक दिये।

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0सं0-217/2020 धारा 302,201/147/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. सलीम पुत्र अकबाल ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ।

2. सोनू सिह उर्फ धर्मेन्द्र सिह पुत्र मायाशंकर सिह सा0 दुबरा थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1- मृतक की मोटर साईकिल प्लेटिना

2- मृतक की टोपी

3- दो अदद चाकू (आलाकत्ल) व मृतक का एक अदद मोबाइल टूटा हुआ

4- सफेद कार आई हुण्डई 20 0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1- थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

2- उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

3- उ0नि0 श्री जगदीस प्रसाद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

4- उ0नि0 सच्चन राम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।